13/11/19	Sunita	प्रार्थिया द्वारा दी गई तहरीर प्रार्थिया की ओर से इस आशय का दिया गया कि पतिपत्नी के मध्य रंजिश हो गया है जिसके कारण आरोपित गलत चलन चाहती है एवं इसी दहेज पर वाद वादिनी को परेशान करना चाहती है इसके पश्चात वाद का आपसी मिल चुकी वादिनी वाद की स्वीकृति है जो दहेज पुनः वाद रंजिश के आधार पर नहीं चलाना चाहती है इसलिए आपसी के प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया है वाद वादिनी को बिना गवाही साक्ष्य एवं आगे के काम को बंद कर फैसला शुभ होता स्वीकार करता है

कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम) जयपुर

सहायक कलेक्टर एवम
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर (प्रथम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Agarwal
Date: 2019.12.03 15:35:17 IST
Reason: SelfAttested